विधायक संवाद

वस्तु पत्र

25 years CUTS International

राजस्थान विधान सभा

Issue 01/2007

जल बिन सब सून

जल एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि जीवित प्राणियों की उत्तर जीविता के लिए बेशकीमती एवं आवश्यक है। भारत के संविधान के अनुसार, जल राज्य का विषय है और यह राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस मूल आवश्यकता की पूर्ति करें। अत: जल के न्यायपूर्ण एवं समान रूप से वितरण हेतु एक सामूहिक निर्देशिका के निर्माण की जरूरत है, जो कि राष्ट्रीय जल नीति की सामान्य निर्देशिका एवं निर्देश के अनुरूप हों।

जल संसाधन की उपलब्धता के आधार पर, द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट (2006) ने भारत को 133वें स्थान पर रखा है और पेयजल की गुणवत्ता मानक पर 120वाँ स्थान प्रदान किया है।

राजस्थान की स्थिति

राजस्थान भारत के सबसे सूखाग्रस्त राज्यों में से एक है, जहाँ देश के कुल सतह जल संसाधन का मात्र एक प्रतिशत हिस्सा जल पाया जाता है, और यह जल संसाधन राज्य के दक्षिणी एवं दक्षिणी-पूर्वी भागों में सीमित है। हालांकि यह देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां देश की कुल जनसंख्या का 5.2 प्रतिशत हिस्सा निवास करता है।

कहते हैं कि प्राचीन काल में राज्य का एक बड़ा भाग हरा-भरा था एवं जल धाराएं प्रदेश के धरातल से होकर बहती थीं। कुएं, बावड़ियां, झावर, तालाब इत्यादि एवं वर्षा जल को एकत्र करने की पारम्परिक व्यवस्था राजाओं एवं धनी लोगों द्वारा जल प्रबन्धन के रूप में विकसित की गई। विभिन्न समुदायों का इन संसाधनों पर स्वतन्त्र अधिकार था। परंतु जमीन के लगातार अवक्रमण के परिणामस्वरूप जलाशयों में गाद भर गई और जिससे पारम्परिक वर्षाजल एकत्र विधि का विनाश हो गया।

अत्यधिक उपयोग एवं अल्प वर्षा के कारण भूमिगत जल का स्तर काफी नीचे चला गया। बाद में केन्द्र सरकार ने सामूहिक जल वितरण व्यवस्था प्रारम्भ की और स्थानीय समुदायों से स्वायतत्ता ली गई। परिणामस्वरूप पारम्परिक जल एकत्र व्यवस्था पूर्णत: मृत हो गई।

महत्वपूर्ण मुद्दें:

(अ) प्रबन्धन से सम्बन्धित

संसाधन योजना

प्रदेश के लिए राज्यसरकार को एक नियोजित जल संसाधन योजना प्रारम्भ करने की आवश्यकता है, जो कि सम्बन्धित विभागों से विश्वसनीय सूचना एकत्र कर समयबद्ध कार्य योजना के आधार पर हों। इस संबंध में, केन्द्रीय योजना प्राधिकरण एवं केन्द्रीय सूचना केन्द्र की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है।

भूमिगत जल संसाधनों को पुन: प्रारम्भ करना

भूमिगत जल संसाधनों को पुन: प्रारम्भ करने की वर्तमान प्रक्रिया अपर्याप्त हैं और वर्तमान में भूमिगत जल संसाधन के अति उपयोग पर कोई अधिनियम नहीं है, जिसका लागू होना जरूरी है। राज्य के अधिकतर भागों में पारम्परिक वर्षा जल एकत्रित करने की जल प्रबन्धन व्यवस्था मृत हो चुकी है।

अनुरक्षण एवं आधुनिकीकरण

जल संसाधन एवं वितरण हेतु अनुरक्षण प्रक्रिया की अति आवश्यकता है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनुरक्षण कार्य विभिन्न सरकारी विभागों की देखरेख में होता है। परंतु अनुरक्षण के प्रति लाभान्वित वर्गों में जिम्मेदारी एवं स्वामित्व की भावना का अभाव है, जिससे जल की बर्बादी होती है। 'वाटर यूजर एसोसिएशन' के माध्यम से अनुरक्षण का विकेन्द्रीकरण, जैसा कि राज्य जल नीति में वर्णित है, सहायक सिद्ध होंगे।

जल दर का तर्कसंगतीकरण

राज्य में ऐसा कोई भी स्थापित कानून नहीं है जिससे कि उपभोक्ताओं पर जल उपयोग हेतु मूल्यदेय निश्चित हों। यद्यपि किसानों को सिंचाई हेतु जल उपयोग करने के बदले आर्थिक सहायता दर पर राशि देय होती है, परंतु इसमें भी दर निर्धारण में एकरूपता नहीं है। इसके अतिरिक्त, जल उपयोग मात्रा पर कोई उच्चतम सीमा तय नहीं है, जो कि प्राय: छोटे एवं मध्यम किसानों के हितों के विरूद्ध एवं बड़े किसानों के लिए लाभकारी है।

घरेलू स्तर पर जल उपयोग के लिए कोई निश्चित कर व्यवस्था नहीं है (जैसा कि शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में पाया गया है)। प्रत्येक उपभोक्ता जल उपयोग के बदले एक समान कर देता है, वह चाहे जितनी मात्रा में जल का उपयोग करे। इस व्यवस्था में बदलाव की नितांत आवश्यकता है एवं उपयोग आधारित जल दर तय करना होगा, जो कि शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों पर 'अदा करने की इच्छा' विषय पर सर्वे के पश्चात् निर्धारित किया जाए। जल दर के निर्धारण में पानी की कमी पर भी विचार करना होगा।

जल प्रबन्धन में भागीदारी

जल प्रबन्धन में लाभान्वित वर्ग (वाटर यूजर ग्रुप/सी.बी.ओ.) की भागीदारी की कमी है जिनको निर्णय प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाता। राज्य में गैर-सरकारी संस्थाओं/स्वैच्छिक संस्थाओं, जो कि जल संसाधन प्रबन्धन में कार्यरत हैं, को अच्छा अनुभव है और जो कि देश में अनूठा है।

जल क्षेत्रों की स्थापना एवं जल विभाजक प्रबन्धन

जल क्षेत्रों का सीमांकन जल की उपलब्धता की मात्रा पर आधारित होना चाहिए। जिन क्षेत्रों में जल की किल्लत है, वहां जल विभाजक संकल्पना पर कार्य करने की जरूरत है। परंतु जल विभाजक संकल्पना की आवश्यकता उन क्षेत्रों में नहीं है जहां जल भूमि के भीतर से स्वत: बहाव में है। जल विभाजक योजना उन क्षेत्रों में लागू होनी चाहिए जहां जल का बहाव जलग्रहण क्षेत्र में होता है।

बाढ़ नियंत्रण एवं प्रबन्धन

वर्षा के बहाव की रोकथाम हेतु कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। बारिश के मौसम में अधिकतर वर्षा जल बेकार बह जाता है। अनुरूप पेड़-पौधों की अनुपस्थिति के कारण जल मिट्टी के भीतर प्रवेश नहीं कर पाता और जलग्रहण क्षेत्र के बाहर निकल जाता है। इस बाबत् 'इन्टीग्रेटेड कमांड एरिया डवलपमेंट' (आई.सी.ए.डी.) योजना को सही ढ़ंग से लागू करना होगा।

घर एवं समुदाय स्तर पर (शहरी एवं अर्द्धशहरी) छत/वर्षा जल प्रबन्धन को बढ़ावा मिलना चाहिए और भविष्य में निर्माण होने वाले शहरी क्षेत्रों में इसको अनिवार्य करना होगा, साथ ही 'रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन' द्वारा इसकी बराबर निगरानी सुनिश्चित करनी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता सममुदायों के सहयोग से वर्षा जल प्रबन्धन ढ़ांचों को पुनर्जीवित करना होगा।

अभाव क्षेत्र प्रबन्धन

सूखाग्रस्त क्षेत्रों, जहां जल उपलब्धता एक बड़ी समस्या है, जल के अपव्यय पर अंकुश लगाने हेतु कोई मानक होना चाहिए। अधिक जल पोषक फसलों की खेती पर रोक लगानी चाहिए। धरती की नमी को बरकरार रखने के लिए वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के पुन:विकास के लिए प्रयास होने चाहिए।

(ब) वितरण संबंधी

पेयजल एवं गुणवत्ता नियंत्रण

वर्तमान एवं भविष्य की मांगों को ध्यान में रखते हुए, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समुदायों को पर्याप्त पेयजल सुविधाएं प्रदान करने की जरूरत है। औद्योगिक क्षेत्रों, जैसे चित्तौडगढ़, दौसा, भीलवाड़ा, राजसमन्द इत्यादि में संगमरमर गारा एक बड़ी समस्या है। फ्लोराइड की समस्या जोधपुर, सीकर, झुन्झुनू, डूंगरपुर एवं चूरू जिलों में विद्यमान है। इन क्षेत्रों में विभिन्न समुदायों के लिए अच्छे गुणवत्ता वाले पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाली परियोजनाओं को लक्ष्य अनुकूल होना चाहिए। राष्ट्रीय मानक के परिप्रेक्ष्य में, सतही एवं भूमिगत जल की गुणवत्ता की समय-समय पर निगरानी होना जरूरी है एवं सरकार को ऐसे कार्यक्रमों हेतु सुविधाएं मुहैया करनी होंगी जिनको गैर-सरकारी संस्थाओं एवं अनुसंधान संस्थाओं की भागीदारी से कार्यान्वित किया जा सकता है एवं जिनको जल गुणवत्ता निगरानी का अनुभव हों।

खेती के लिए भूमिगत जल का व्यवस्थापन

सिंचाई के उद्देश्य से सरकार ने नहरें बनवाई एवं जल के समान वितरण हेतु नियम बनाए गए, परंतु इन नियमों का कदाचित ही अनुसरण किया जाता है। अमीर किसानों को गरीब किसानों की अपेक्षा अधिक लाभ हो रहा है। भूमिगत जल के गलत उपयोग को रोकने के लिए गहराई सीमा तय होनी चाहिए। भूमिगत जल व्यवस्थापन हेतु स्थानीय लोगों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए एवं सरकारी विभागों की भूमिका निरीक्षणात्मक एवं विवाद निवारक की होनी चाहिए।

जल निर्धारण प्राथमिकताएं

जल उपयोग हेतु प्राथमिकताएं निश्चित करना आवश्यक है, और इसमें आम जनता को पेयजल एवं अन्य कार्यों के लिए प्राथमिकता मिलनी चाहिए। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे जल की मात्रा राष्ट्रीय जल प्राप्यता मानक के अनुरूप हों, चूँकि कृषि राज्य के लोगों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है, अगली प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को मिलनी चाहिए। विद्युत उत्पादन को तीसरी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उद्योग एवं दूसरी सृजनात्मक गतिविधियों को अंतिम प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जल वितरण मांग के उपयुक्त, वैज्ञानिक अध्ययन के पश्चात् होना चाहिए।

सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी

जल संसाधन हेतु सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी कोशिशों की परिकल्पना करनी होगी एवं उसे कार्यान्वित भी करना होगा। इस बात की भी आवश्यकता है कि कॉरपोरेट समुदाय को जल संरक्षण विषयों पर पूंजी लगाने हेतु अधिक संवेदनशील बनाया जाए।

समान मूल्य

जल संसाधनों के उपयोग पर नियम एवं कानून बनाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। राजस्थान अनेक विविधताओं वाला राज्य है। यहां समतल भूमि, पर्वतीय क्षेत्र एवं रेगिस्तानी मैदान है। भौगोलिक विविधिताओं को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों हेतु समान नीति निर्धारित नहीं होनी चाहिए। इस विषय में लोगों से विचार-विर्मश करके उनको अपने वातावरण के अनुकूल मूल्य निर्धारित करने की आजादी होनी चाहिए। राष्ट्रीय जलनीति की मार्गदर्शिका प्रयोक्ता समर्थक होनी चाहिए।

प्रशिक्षण एवं शिक्षा

राज्य के लिए जरूरी है कि वह जल संरक्षण नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करें। इन नियमों का विद्यालयों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के शैक्षिक पाठ्यक्रमों में समावेश होना चाहिए। महत्वपूर्ण संदेशों को सम्प्रेषित करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों और अनुसंधान संस्थाओं के सहयोग से अभियान चलाना चाहिए।

विचार-विमर्श हेतु मुद्दें

- क्या यह व्यवहारिक नहीं हैं कि राजस्थान में जल संसाधनों के विकास एवं प्रबन्धन के प्रति एक ही जल संसाधन विभाग समर्पित हों, बल्कि यह सभी कार्य विभिन्न विभागों में वितरित होने चाहिए?
- राज्य में जल की पुनरावर्तक कमी और विभिन्न भौगोलिक स्थानों एवं आर्थिक भागों में इसकी अपर्याप्तता को देखते हुए क्या यह उचित नहीं होना चाहिए कि राज्य के लिए 'सम्पूर्ण जल संसाधन कार्यक्रम' विकसित करना चाहिए, जिसमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय-सीमा एवं समदृष्टि और न्याय जैसे तत्वों का समावेश हों?
- ड्राफ्ट जल नीति एक केन्द्रीय योजना प्राधिकरण के स्थापना की अनुसंशा करती है, जो कि राज्य में सम्पूर्ण जल संसाधन प्रबन्धन एवं विकास से जुड़ी नीति निर्धारक मुद्दों के लिए कार्य करते हैं। अब तक इस संदर्भ में क्या विकास हुआ है? राजस्थान में जल क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सूचना केन्द्र स्थापित करने के बारे में कहां तक प्रगति हुई है? क्या जयपुर मे प्रस्तावित 'जल संस्थान' इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकेगा?
- क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिससे विभिन्न राज्य समान जल स्त्रोतों को बांटने में सहयोग कर सकें? अगर नहीं, तो क्या यह सही वक्त है कि इन प्रक्रियाओं को अपनाया जाए?
- क्या यह सरकार (एवं विभिन्न राजनैतिक दल) के लिए उचित नहीं है कि वर्तमान सरकार की अवधि के उपरांत भी जल संसाधन के विकास एवं प्रबन्धन के कार्यक्रमों के लिए निर्धारण एवं कार्यान्वयन के संदर्भ में निरन्तरता निश्चित करें?
- विभिन्न समूहों ने ग्रामीण क्षेत्रों मे पंचायती राज संस्थाओं और शहरी क्षेत्रों में घरेलू विकास संस्थाओं या बोर्ड कर्मियों तक जल संसाधनों के प्रबन्धन और विकास कार्यों के विकेन्द्रीकरण की अनुशंसा की है। क्या राज्य के नीति-निर्धारक इस विषय पर कुछ कार्य कर पाए हैं?
- क्या राज्य में फसल बुआई के तरीकों को नियमित करने की आवश्यकता है? जल की कमी को ध्यान में रखते हुए, क्या जल-ग्रहण फसलों, जैसे कि अफीम, तम्बाकू, गन्ना, गेहूँ इत्यादि को प्राथमिकता देनी चाहिए?

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)
कट्स सेन्टर फॉर कन्ज्यूमर एक्शन, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग (कट्स कार्ट)
डी-222, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.228 2821
फैक्सः 228 2485, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org
CUTS CART